प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः परिषद–9/ 711 दिनांकः 25 दिसम्बर 2021

विषयः **कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्याः 2823/15–7–2021–1(52)/2021, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 दिनांकः 24 दिसम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन किये जाने विषयक है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक--शासनादेश की प्रति

भवदीय

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव

पृ0सं0– परिषद–9/ 711-2 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1–निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

2–शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव

संख्या-2023 / 15-7-2021-1(52) / 2021

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3-सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4-समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

5-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिकशिक्षा अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

विषयः- कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195 / एक-11-2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को आपदा घोषित किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-1467 / 15-7-2020-1(52) / 2021, दिनांक 02.08.2021 तथा शासनादेश संख्या-2229 / 15-7-2021-1(52) / 2014 08.10.2021 प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये पठन-पाठन हेतु भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये थे।

3- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.12.2021 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व मे निर्गत एस0ओ0पी0 / गाइडलान्स में माडिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं।

4- इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त दिनांक 17.12.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सत्र को नियमित रखने, छात्रहित, जनहित तथा कोविड-19 के नवीन वायरस ऑमिकान की संक्रमण की दर को नियंत्रित करने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा

Scanned by TapScanner

बोर्डों के विद्यालयों में भौतिक रूप पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईज्ड किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन नियमित रूप से सुनिश्चित की जाय।
2. विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश एवं थर्मलस्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
3. विद्यार्थियों को हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज्ड कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय।
4. विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
5. विद्यालय में आने एवं जाने के समय शारीरिक/सामाजिक दूरी के साथ ही कोविड–19 के प्रोटोकॉल/मानकों का पालन किया जाय। विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध करते समय तथा विद्यालय के अन्दर भी कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाय।
6. विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वारा हो तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
7. कई बार स्पर्श की जाने वाली सतहों जैसे–स्टीयरिंग, दरवाजों की हैंडिल, चाभियां आदि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाय।
8. पंक्तियों को व्यवस्थित करने के लिये पर्याप्त दूरी के साथ निश्चित मार्किंग की जाय।
9. यदि विद्यार्थी स्कूल बसों से विद्यालय आते है तो स्कूली वाहनों को आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ओर से दिन भर में नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन/स्प्रे का उपयोग करते हुए कम से कम दो बार सेनेटाइज किया जाय।
10. स्कूल के ड्राइवर एवं कंडक्टर द्वारा हर समय विशेषकर उनके लिए निर्धारित स्थानों पर शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जाय। उनके द्वारा बस में विद्यार्थियों के मध्य शारीरिक/सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाय तथा कोविड–19 की प्रोटोकॉल अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
11. सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप मास्क की पहनने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाय।
12. विद्यार्थियों को कक्षा में 06 फिट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
13. विद्यालयों में प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक आयोजन/खेल आधारित गतिविधियाँ/वार्षिकोत्सव/प्रदर्शनी आदि का आयोजन कोविड–19 की प्रोटोकॉल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय।
14. विद्यार्थियों को उनके माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन–पाठन हेतु विद्यालय बुलाया जाय। विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचिला रूख अपनाया जाय तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाय।
15. घर से अध्ययन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
16. कोविड–19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाय।

L

Scanned by TapScanner

17. ऐसे सभी कर्मचारी जो उच्च जोखिम वाले हैं जैसे-वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी तथा वे कर्मचारी जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है, उन्हें ऐसे कार्यों में न संलग्न किया जाय जिसमें विद्यार्थियों से सीधा सम्पर्क होता हो।

18. विद्यालयों में खेल, संगीत, नृत्य तथा अन्य प्रदर्शन कलाओं की कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों का आयोजन तभी किया जाय, जबकि शारीरिक दूरी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का पालन करना सम्भव हो।

19. विद्यालय में किसी छात्र, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी को बुखार, खासी, जुकाम इत्यादि से सम्बंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको चिकित्सीय परामर्श के साथ घर सुरक्षित पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

20. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बंधित जनपद के समस्त विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गया है।

5- उपरोक्त समस्त प्रोटोकॉल के अनुश्रवण तथा अनुपालन का दायित्व जनपद में सम्बंधित जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मण्डल में सम्बंधित संयुक्त शिक्षा निदेशक का होगा। विद्यालयों में पठन-पाठन के दौरान सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक, माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाय।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीया,

24.12.2021

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2823 (1)/15-7-2020-1(52)/2021 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
2. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
4. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
7. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव।

Scanned by TapScanner